न्यायालय अपर जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः—उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

निगरानी सं. 08/2020

1. अंगददेव झौरड पुत्र स्व० श्री सहीराम जाति जाट (झौरड़) निवासी नुकेरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़ हाल आबाद दुकान नंबर 17, तहसील रोड घड़साना, नई मण्डी घड़साना, तहसील घडसाना, जिला श्रीगंगानगर।

——निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत नुकेरा पंचायत समिति संगरिया, तहसील संगरिया जरिये सरपंच ग्राम पंचायत नुकेरा, तहसील संगरिया, जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीमति सन्तोष देवी धर्मपत्नी स्व० श्री औमप्रकाश पुत्र स्व० श्री सहीराम।
3. अशोक कुमार।
4. राजेन्द्र कुमार। पुत्रगण स्व० श्री औमप्रकाश पुत्र स्व० श्री सहीराम जाति जाट (झौरड) निवासी नुकेरा, तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. मु० कान्ता उर्फ सुमन (पुत्री स्व० श्री औमप्रकाश पुत्र स्व० श्री सहीराम) धर्मपत्नी श्री वासुदेव तरड़ जाति जाट निवासी ढाकांवाली ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

——अप्रार्थीगण

निगरानी प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्ध पट्टा दिनांक 16.07.1990 मिसल नंबर—20 जिसकी रूह से प्रार्थी एवं उसके भाई स्व० श्री औमप्रकाश के संयुक्त स्वामित्व के भूखण्ड संख्या 208 के चिपते उत्तरी व पश्चिमी दिशा में कुल 392 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा अकेले औमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम के पक्ष में जारी किया गया, को निरस्त फरमाने बाबत

उपस्थितः— 1. श्री लालचंद वर्मा अभिभाषक निगरानीकर्ता।
2. श्री मदन गौदारा अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02 ता 03

—:निर्णयः—

दिनांकः—25.02.2025

निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/निगरानीदार की ओर से इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 02 से 05 की वंशावली निम्नानुसार है—सहीराम (फौत) के दो पुत्र औमप्रकाश(फौत सन 2019) व अंगददेव है। औमप्रकाश(फौत) के वारिसान पत्नी संतोषदेवी व पुत्रगण अशोक कुमार, राजेन्द्र कुमार व पुत्री कान्ता उर्फ सुमन है। प्रार्थी के पिता श्री सहीराम पुत्र शेराराम को गांव नुकेरा की आबादी भूमि में खसरा नंबर 208 का भूखण्ड तादादी 1995 दरगज निजामत सूरतगढ़ द्वारा पत्रावली संख्या 606 दिनांक 01.10.1945 में पारित आदेश दिनांक 07.01.1946 के अन्तर्गत मंजूर हुआ था। इस आदेश का अमलदरामद गांव नुकेरा के खसरा आबादी रजिस्टर में दर्ज हुआ। इस भूखण्ड की चतुर्सीमा निम्न प्रकार है—पूर्व 53 गज पश्चिम 42 गज उत्तर 42 गज दक्षिण 42 गज कुल 1995 दजगज है। स्व० श्री सहीराम के देहान्त उपरान्त उक्त भूखण्ड का इन्तकाल प्रार्थी व औमप्रकाश के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ तथा खसरा आबादी रजिस्टर में इस इन्तकाल की प्रविष्टि दर्ज हुई। प्रार्थी एवं औमप्रकाश इस भूखण्ड पर संयुक्त रूप से काबिज है। प्रार्थी चिकित्सा विभाग में राजकीय चिकित्सक के पद पर तैनात था तथा अपने पदस्थापन स्थल पर नियुक्त रहा तथा सेवानिवृत होने के उपरान्त घड़साना में स्थाई रूप से आबाद हुआ। कोविड—19 में लॉकडाउन के बाद

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

प्रार्थी उक्त भूखण्ड में अपने निस्फ हिस्सा पर निवास के प्रयोजन हेतु निर्माण करने के आशय से गांव नुकेरा आया तथा अप्रार्थी संख्या 1 से इस भूखण्ड के खसरा आबादी रजिस्टर की प्रतिलिपि प्राप्त की तथा अप्रार्थीगण संख्या 2 से 4 को इस भूखण्ड की पैमाईश कर आधा हिस्सा के भू–भाग की सीमा नापने हेतु आग्रह किया तो अप्रार्थीगण ने प्रकट किया कि इस भूखण्ड के उत्तरी व पश्चिमी सीमा पर 392 वर्गगज का भूखण्ड स्व० श्री औमप्रकाश का पट्टा शुदा भूखण्ड है तथा इस भूखण्ड में प्रार्थी का कोई हक व हित नहीं है तथा इस पट्टा की नकल प्रार्थी को दी। प्रार्थी यह पट्टा देखकर अंचभित हो गया तथा मूल भूखण्ड संख्या 208 के चिपते खांचा भूमि के रूप में आवंटित भूमि का अकेले औमप्रकाश ने पट्टा हासिल किया है। प्रार्थी ने इस पट्टा विलेख की प्रमाणित प्रतिलिपि अप्रार्थी संख्या 1 से प्राप्त करनी चाही तो उन्होंने रिकार्ड चोरी होने व इस सम्बन्ध में एफ.आई. आर. दर्ज होने का तथ्य प्रकट कर प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदत्त करने में असमर्थता प्रकट की। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्व० श्री औमप्रकाश के पक्ष में जारी पट्टा विलेख दिनांक 16.07.1990 कतई गलत व विधि विरूद्ध है। प्रार्थी इस पट्टा विलेख को निरस्त किये जाने हेतु यह निगरानी प्रार्थना–पत्र निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत कर रहा है– (क) यह कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भूखण्ड संख्या 208 तादादी 1995 दरगज के चिपते उत्तरी व पश्चिमी तरफ के कुल 392 वर्गगज का पट्टा विलेख श्री औमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम अकेले के पक्ष में जारी करने का आदेश गलत व विधि विरूद्ध रूप से दिया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। चित्रप्रति पट्टा विलेख दिनांक 16.07.1990 संलग्न निगरानी प्रार्थना–पत्र है। (ख) यह कि निगरानी अधीन पट्टा विलेख में स्व० श्री औमप्रकाश के पक्ष में आवंटित भूखण्ड जो भूखण्ड संख्या 208 के उत्तर में 30 गुणा 84 फीट अर्थात् 280 वर्गगज व पश्चिम में 12 गुणा 84 फीट थात् 112 वर्गगज है, भूखण्ड संख्या 208 के पार्श्वस्थ लघु पट्टी (Strip of land) थी तथा इस लघु पट्टी का आवंटन भूखण्ड संख्या 208 के सहस्वामी बहिस्सा बराबर प्राप्त करने के अधिकारी थे। भूखण्ड संख्या 208 मूलतः प्रार्थी एवं स्व० श्री औमप्रकाश के पिता स्व० श्री सहीराम के स्वामित्व का था तथा स्व० श्री सहीराम के फौत होने के उपरान्त प्रार्थी एवं स्व० श्री औमप्रकाश इस भूखण्ड के सहस्वामी हुये थे। स्व० श्री सहीराम को उक्त भूखण्ड संख्या 208 के चिपते प्रश्नगत 392 वर्गगज भूखण्ड का पट्टा अकेले अपने नाम जारी करवाने का अधिकार नहीं था। (ग) यह कि प्रार्थी एवं स्व० श्री औमप्रकाश के मध्य उक्त भूखण्ड संख्या 208 का कभी भी भौतिक एवं वास्तविक रूप से विभाजन नहीं हुआ तथा विभाजन होने से पूर्व लघु पट्टी के रूप में आवंटित उक्त 392 वर्गगज अर्थात् 882 दरगज सहित कुल 1995+882 =2877 दरगज भूमि में प्रार्थी निस्फ हिस्सा 1438.5 दरगज का विधि अनुसार अधिकारी है। (घ) यह कि प्रश्नगत पट्टा में स्व० श्री ओमप्रकाश को आवंटित भूखण्ड 392 वर्गगज अर्थात् 882 दरगज एक स्वतंत्र एवं निरपेक्ष भूखण्ड नहीं माना जा सकता बल्कि मूल भूखण्ड संख्या 208 की उत्तरी सकल सीमा व पश्चिमी सकल सीमा के चिपते हुये होने से यह भूखण्ड एक लघु पट्टी के रूप में ही था तथा यदि इस भूखण्ड को एक स्वतंत्र भूखण्ड की संज्ञा दी जाती है तो मूल भूखण्ड संख्या 208 का थ्तवदजंहम जो मात्र उत्तरी व पश्चिमी तरफ ही है, पूर्णतया समाप्त होता है तथा इस कारण प्रश्नगत पट्टा में आंवटित भूखण्ड कानूनन भी एक स्वतंत्र भूखण्ड नहीं माना जा सकता। स्व० श्री औमप्रकाश व उनके देहान्त उपरान्त उनके वारिसों अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 का इस भूखण्ड पर एकल स्वामित्व नहीं माना जा सकता तथा बकौल अप्रार्थीगण यदि यह भूखण्ड एक स्वतंत्र भूखण्ड माना जाता है तो प्रार्थी को मूल भूखण्ड संख्या 208 तादादी 1995 दरगज का किसी भी प्रकार से बंटवारा करने पर प्रार्थी उत्तर व पश्चिम दिशा में स्थित गली आम में आवागमन करने से बाधित हो जायेगा। वस्तुतः प्रश्नगत पट्टा में आवंटित भूखण्ड 392 वर्गगज में प्रार्थी एवं स्व० श्री औमप्रकाश बहिस्सा बराबर के अधिकारी है तथा अकेले औमप्रकाश के पक्ष में जारी पट्टा अशुद्ध–विधि विरूद्ध व अनुचित होने से माननीय न्यायालय की पुनरीक्षणीय शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है। प्रार्थी को प्रश्नगत पट्टा के संबंध में कोई जानकारी नहीं थी बल्कि प्रार्थी अपनी राजकीय सेवा में गांव नुकेरा से बाहर ही अपने पदस्थापन स्थल पर तैनात रहा। अप्रार्थी संख्या 1 को भी इस तथ्य का ज्ञान था कि भूखण्ड संख्या 208 प्रार्थी एवं स्व० श्री औमप्रकाश के सहस्वामित्व का है तथा इसके बावजूद प्रश्नगत भूखण्ड का पट्टा जारी करने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस नहीं दिया। प्रार्थी को इस पट्टा विलेख की जानकारी सर्वप्रथम माह जून 2020 के अंतिम सप्ताह में अपने भूखण्ड संख्या 208 पर निर्माण करने की योजना बनाने

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

पर गांव नुकेरा आने पर हुई है तथा वाच्छित अभिलेख प्राप्त कर यह निगरानी प्रार्थना पत्र ज्ञान के दिवस से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया गया है। अतः निगरानी प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत पट्टा विलेख दिनांक 16.07.1990 जो केवल औमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम के पक्ष में जारी किया गया है, अशुद्ध–विधि विपरीत व अनुचित होने से निरस्त फरमाया जावे तथा यह पट्टा विलेख भूखण्ड संख्या 208 के सहस्वामियों के पक्ष में जारी करने का निर्देश अप्रार्थी संख्या 1 को फरमाया जावे।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीयान की तलबी की गयी। अप्रार्थीयान जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन रिकॉर्ड तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। निगरानीकर्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये प्रश्नगत पट्टा विलेख दिनांक 16.07.1990 जो केवल औमप्रकाश पुत्र श्री सहीराम के पक्ष में जारी किया गया है, अशुद्ध–विधि विपरीत व अनुचित होने से निरस्त फरमाया जावे तथा यह पट्टा विलेख भूखण्ड संख्या 208 के सहस्वामियों के पक्ष में जारी करने का निर्देश अप्रार्थी संख्या 1 को फरमाया जावे। बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

1. DNJ 2013(1)Page 177
2. DNJ 2018(4) Page 1660
3. DNJ 2015(2) Page 595

अभिभाषक अप्रार्थी सं0 02 ता 03 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि प्रार्थी ने उक्त भूखण्ड का आसा–पास भी गलत अंकित किया है। उक्त खसरा नंबर 208 के उत्तरी तरफ मुझ अप्रार्थी के पिता स्व. ओमप्रकाश के नाम से 30 गुणा 84 कुल 280 वर्ग गज का भूखण्ड है व पश्चिम दिशा में भी मुझ अप्रार्थी के पिता व पति 12 गुणा 84 कुल 112 वर्ग गज का भूखण्ड है तथा पूर्व दिशा में इन्द्राज का मकान, दक्षिण दिशा में देवाराम का मकान है। मुझ अप्रार्थी को घरा–घरू बंटवारा में अपने पिता को विरासतन प्राप्त भूखण्ड संख्या 208 व मुझ अप्रार्थी के पिता के नाम से पट्टाशुदा भूखण्ड 208 के उत्तरी व पश्चिमी साइड का भूखण्ड घरा–घरू बंटवारा में प्राप्त हुआ था, जिस पर प्रार्थी का रिहायश हेतु मकान बना हुआ है तथा उक्त भूखण्ड में बिजली–पानी के कनेक्शन भी प्रार्थी के लिए हुए हैं तथा परिवार सहित वहां निवास करता है। उक्त भूखण्ड संख्या 208 में लघु पट्टे नहीं हैं। उक्त भूखण्ड अप्रार्थी के पिता व पति का पट्टाशुदा भूखण्ड है, जिसके कारण उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का बहिब का हिस्सा नहीं है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता के मध्य घरा–घरू बंटवारे में भूखण्ड संख्या 208 के निष्फ हिस्सा के पश्चिमी दिशा का हिस्सा गली आम तक प्रार्थी को दिया हुआ है, जिसके कारण प्रार्थी को उक्त भूखण्ड के उपयोग व उपभोग व आवागमन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। हम अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के निष्फ हिस्से तक उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं की जा रही है, ना ही प्रार्थी के हिस्से में निर्माण कार्य करने के लिए कटिबद्ध हैं। प्रार्थी को स्व ओमप्रकाश के नाम से जारी पट्टे का हमेशा ज्ञान रहा है। उक्त पट्टाशुदा भूखण्ड घरा–घरू बंटवारे में प्राप्त हुआ था। आज उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का रिहायश हेतु मकान बना हुआ है। प्रार्थी द्वारा भूखण्ड संख्या 208 के निष्फ हिस्से में कोई भी निर्माण करने सबधी तथा उक्त भूखण्ड की भू–भाग की सीमाज्ञान नापने की कोई कार्रवाई नहीं की। प्रार्थी ने उक्त कथन मात्र निगरानी को मियाद में लेने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा उक्त निगरानी 31 वर्ष बाद पेश की गई है, जो किसी भी प्रकार से अंदर मियाद नहीं है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि निगरानीकर्ता की निगरानी मियाद बाहर होने के कारण मय खर्चा खारिज फरमाई जावे

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया और उद्धृत न्यायिक नजीरों पर मनन किया गया।

1. निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुयी देरी के संबंध में निगरानी के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र व निगरानीकर्ता के शपथ पत्र के आधार पर निगरानी में हुयी देरी को न्यायहित में माफ (कन्डोन) करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

2. प्रश्नगत खांचा भूमि से चिपते भूखण्ड संख्या 208 निजामत सूरतगढ़ द्वारा पत्रावली संख्या 606 दिनांक 01.10.1945 आदेश दिनांक 07.01.1946 से सहीराम पुत्र शेराराम के नाम से मंजूर हुआ एवं ग्राम पंचायत नुकेरा के खसरा आबादी रजिस्टर में दर्ज है।
3. प्रश्नगत भूखण्ड के लिए किये गये आवेदन में ओमप्रकाश पुत्र सहीराम द्वारा भूखण्ड संख्या 208 में निवास करना बताया है जबकि भूखण्ड संख्या 208 पैतृक सम्पति है जिसके अगंददेव एवं ओमप्रकाश बहिस्सा बराबर हकदार है।
4. प्रश्नगत पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा भूखण्ड संख्या 208 के सहहिस्सेदार को ग्राम पंचायत द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस कारण विधि द्वारा प्रतिपादित नैसर्गिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तो की पालना नहीं होने के कारण प्रश्नगत पट्टा विधिसम्मत नहीं है।

अतः प्रार्थी का निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से निगरानी अधीन ग्राम पंचायत, नुकेरा द्वारा ओमप्रकाश पुत्र सहीराम को जारी पट्टा दिनांक 16.07.1990 जो कि 112 वर्गगज पर जारी किया गया है, को भूखण्ड संख्या 208 के सहहिस्सेदार की हद तक अर्थात 1/2 हिस्सा तक निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत को नियमानुसार पट्टा जारी करने निर्देश दिये जाते है। ग्राम पंचायत को निर्णय की प्रति सहित रिकार्ड वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़